झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
अवमानना (आपराधिक) वाद सं0–05 / 2013

जैनब अली .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य और अन्य .... विरोधी पक्ष

कोरमः **माननीय न्यायमूर्ति श्री डी0एन0 पटेल**
माननीय न्यायमूर्ति श्री पी0 पी0 भट्ट

आवेदक की ओर से : श्री अरबिंद कुमार चौधरी, अधिवक्ता।
राज्य की ओर से : .श्री सुचेन्द्र प्रसाद, ए0पी0पी0।
06 / दिनांकः17वीं दिसंबर, 2013

मौखिक आदेशः

डी0 एन0 पटेल, न्याया0 के अनुसार

1. आवेदक के अधिवक्ता का इस मामले पर विस्तार से बहस करने से पहले, विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा जोरदार पूर्वक यह निवेदन किया गया है कि न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 15 के तहत आवेदक को सुने जाने का अधिकार (लोकस स्टैंडी) नहीं है जब तक कि झारखण्ड राज्य के एडवोकेट जनरल से सहमति नहीं ली जाती है और रिकॉर्ड पर कोई विशिष्ट सहमति उपलब्ध नहीं है, इसलिए, यह आपराधिक अवमानना कानूनी रूप से मान्य नहीं है।

2. आवेदक के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वह इस आपराधिक अवमानना याचिका को प्रचालित नहीं कर रहा है, लेकिन, उपयुक्त फोरम के समक्ष उचित आवेदन दायर करने के लिए आवेदक अपना अधिकार सुरक्षित रख सकता है।

3. उचित फोरम के समक्ष उचित आवेदन दायर करने के लिए आवेदक को छूट प्रदान करते हुए, इस आपराधिक अवमानना याचिका को, इस स्तर पर, प्रचालित नहीं करने के कारण निष्पादित किया जाता है।

(डी0 एन0 पटेल, न्याया0)

(पी0 पी0 भट्ट, न्याया0)